न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-79/2017

जाफर अली पुत्र मदनसेन जाति धोबी (मुसलमान) निवासी बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- बसीर अली पुत्र रोशन खां
2- सरबर अली पुत्र रोशन खां
3- साबीर अली पुत्र सदीक खां
4- तालिम अली पुत्र सदीक खां
5- साकिर अली पुत्र सदीक खां
6- बिस्मिल्ला पत्नी सदीक खां
7- जीवनअली पुत्र उजीर खां
8- रफीक अली पुत्र सुवा खां
9- कुरडाबक्स पुत्र मदन
10-रमजान पुत्र सुवा खां

जाति धोबी मुसलमान निवासी ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

11-सीताराम पुत्र हनुमान मेघवंशी जाति मेघवाल निवासी बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

12-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21-11-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ ।

--0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री इन्द्रजीत शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री किशोर शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 12.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 8 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडवासी की सरहद में आराजी ख0नं0 663 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 664 रकबा 1.29 हैक्टर प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी है । सुवा खा का देहान्त हो गया जिसके वारिसा प्रार्थी सं0-8 एवं अप्रार्थी सं0- 4 हैं । अप्रार्थी सं0 -4 वर्तमान में मजदूरी पर गया हुआ है इस कारण उसे अप्रार्थी सं0-4 बनाया गया । प्रार्थीगण एव अप्रार्थी स0-4 के उक्त खेत के चारो तरफ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-4 उक्त खातेदारी की भूमि के सटकर पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0-1 की आराजी ख0नं0 1370/678 रकबा 0.25 हैक्टर व अप्रार्थी सं0-2 की भूमि ख0नं0 678 रकबा 0.26 स्थित है । अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आराजी से पश्चिम साईड में सटकर अप्रार्थी सं0-3 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 677 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या-3 की भूमि से सटकर पश्चिम दिशा में बडवासी से बाय जाने वाला कटानी रास्ता स्थित है उक्त रास्ता मौके पर अप्रार्थी सं0-1 व 2 की आराजी से सटा हुआ है। अप्रार्थी सं0-1 व 2 इसी रास्ते से अपने खेत ख0नं0 1370/678 एवं 678 में आते जाते हैं तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-4 भी इसी रास्ते से अपने खेत ख0नं0 663 व 664 में आते जाते हैं । पूर्व में अप्रार्थी सं0-1 व 2 की उक्त आराजी संयुक्त कब्जा काश्त

एवं खातेदारी में थी ।अब इन्होने अपनी भूमियों का विभाजन कर लिया ।जिसमें इन दोनों ने प्रार्थीगण को 6-6 फीट यानी ।2 फिट चौडा रास्ता दिया है । किन्तु यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में कटा हुआ नहीं है। रास्ता राजस्व रेकार्ड में कटा नहीं होने से अप्रार्थी सं0-। से 3 जब मन में आये बन्द कर देते हैं तथा जब मन में आये खोल देते हैं।प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का यह रास्ता सबसे नजदीक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बिन्दू संख्या-ए से बी तक दिलाय जावे । तथा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बिन्दू संख्या-ए से बी रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। से 6 द्वारा अदालत मातहत में पेश प्रार्थना पत्र का अपीलांट ने जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार किया गया था । तथा मौके पर अपीलान्ट की आराजी में होकर कोई रास्ता नहीं होना स्पष्ट तौर पर प्लीड किया गया है । ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत को विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद बिन्दूओं को विचरित कर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने विहित प्रक्रिया का अवलोकन न कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। से 8 के द्वारा अदालत मातहत में पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जावे तो इस आवेदन की धारा-। में यह स्पष्ट किया है कि इनके खेत के चारों ओर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। धारा-25। राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल वे ही मामले निस्तारित किये जा सकते हैं जिनमें किसी खातेदार द्वारा प्रचलित चालू व कटानी रास्ते को बन्द कर दिया हो । इस आवेदन पत्र में खेत के चारों तरफ कोई रास्ता नहीं होना व रास्ते की आवश्यकता होना बताया इस प्रकार भी रेस्पोडेन्ट सं0-। से 8 का मामला राज0 काश्तकारी अधिनियम के

कर अपना आदेश पारित किया है । अपीलान्ट के खेत में से रेस्पोडेन्ट ने रास्ता बताया है किन्तु अपीलान्ट के खेत में से कोई रास्ता कभी नहीं रहा है और जब कोई रास्ता मौके पर ही नहीं है तो उसे बिना विहित प्रक्रिया के हि रास्ता दिये जाने का आदेश बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2067 से 2070 में आराजी ख0नं0 678, 1369/44 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है ।ख0नं0 669 का रेस्पोडेन्ट संख्या-11 सीताराम खातेदार है। ख0नं0 1370/678 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-9 कुरडाराम के नाम दर्ज है । ख0नं0 663 व 664 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 8 व 10 के नाम दर्ज है । रिपोर्ट मौका दिनांक 10-2-2017 में ख0नं0 678, 677, 1370/678 में से प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा गया । रिपोर्ट में ख0नं0 663 व 664 में आने जाने का रास्ता ख0नं0 678 व 1370/678 की सींव पर से पगडण्डी वर्तमान में चालू बताई है ।तथा ख0नं0 663 व 664 के पूर्व में मूर्ति मन्दिर की खातेदारी का ख0नं0 665 है जिसके पूर्व में भी रास्ता बडवासी से कोलसिया जाने वाला है । जिससे रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने के लिये रास्ता दिया जाता है तो दूरी 76 मीटर बताई है । रिपोर्ट में इन दोनो रास्तो के अलावा अन्य कोई रास्ता रिपोर्ट में नही बताया है ।जिस ख0नं0 665 जो रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 8 की खातेदारी के पूर्व दिशा में है उसकी खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री हनुमानजी विराजमान दर्ज है तथा जिस दिशा से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने रास्ता चाहा है उस साईड के खातेदार ख0नं0 669 के सीताराम रेस्पोडेन्ट सं0-11 व ख0नं0 1370/678 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 कुरडाराम ने प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुसार रास्ता दिये जाने में कोई ऐतराज

6 फिट चौडा 100 मीटर लम्बा रास्ता दिया है ।इस रास्ते से अन्य प्रभावित पक्षकार सहमत है तथा केवल अपीलान्ट असहमत होने के कारण अदालत मातहत ने पत्रावली में मूर्ति मन्दिर की आराजी की रक्षा करते हुये अपना आदेश दिया है जो विधिनुसार उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 21-11-2017 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.3.2018 को सुनाया गया ।

12/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर